पत्रांक– 11 न0वि0 अभि0(को0) 394/2017 1453 न0वि0 एवं आ0वि0

बिहार सरकार

नगर विकास एवं आवास विभाग

प्रेषक,

मुख्य अभियंता,
नगर विकास एवं आवास विभाग
बिहार, पटना।

सेवा में,

कार्यपालक अभियंता,
जिला शहरी विकास अभिकरण,
बेगूसराय।

पटना, दिनांक–20/11/18

विषयः– बेगूसराय अन्तर्गत 03 योजनाओं के पुनरीक्षित प्राक्कलन के तकनीकी स्वीकृति के संबंध में।

प्रसंगः– आपका पत्रांक– 590 दिनांक–12.10.2018

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र द्वारा बेगूसराय अन्तर्गत निम्न 03 योजनाओं का पुनरीक्षित प्राक्कलन तकनीकी स्वीकृति हेतु समर्पित किया गया है।

पूर्व में तीनों योजनाओं का तकनीकी स्वीकृति प्रदान किया जा चुका है, जिसकी स्थिति निम्नवत् हैः–

क्र0 सं0	योजना का नाम (राज्य योजना अन्तर्गत)	प्रदत्त प्रशासनिक स्वीकृति की राशि एवं प्रसंग (₹लाख में)	प्रदत्त तकनीकी स्वीकृति की राशि (₹लाख में)
1.	बी0पी0 स्कूल से नौलखा मंदिर तक नाला–सह–पी0सी0सी0 सड़क निर्माण कार्य।	226.693 (सरकार के विशेष सचिव का पत्रांक–129 दिनांक–08.03.2018)	225.717
2.	जी0डी0 कॉलेज के पीछे पी0सी0सी0 सड़क एवं नाला निर्माण कार्य।	306.827 (सरकार के विशेष सचिव का पत्रांक–129 दिनांक–08.03.2018)	302.08
	नगर निगम बेगूसराय बाघा में ब्रम्हदेव गुप्ता घर से भाया मस्जिद से बाय–पास तक आर0सी0सी0 नाला एवं पी0सी0सी0 सड़क निर्माण कार्य।	94.118 (सरकार के विशेष सचिव का पत्रांक–161 दिनांक–27.03.2018)	93.913

वर्तमान में नया अनुसूचित दर प्रभावी होने के कारण प्राक्कलन में पुनरीक्षण की आवश्यकता नहीं है, बशर्ते कि यह प्रदत्त प्रशासनिक स्वीकृति की राशि के 20% अधिकतम की सीमा के अन्तर्गत हो।

ऐसी स्थिति में परिमाण विपत्र की राशि को प्रदत्त प्रशासनिक स्वीकृति के अन्तर्गत रखने हेतु योजना में पथ एवं नाला की लम्बाई में कमी करने का औचित्य स्पष्ट नहीं है। अतः पूर्व प्रदत्त तकनीकी स्वीकृति के आधार पर परिमाण विपत्र तैयार कर समर्पित किया जाय तथा यदि परिमाण विपत्र की राशि प्रदत्त प्रशासनिक स्वीकृति से अधिक हो तब विभाग से अतिरिक्त राशि की अधियाचना की जा सकती है।

तद्नुसार समर्पित प्राक्कलन मूल में लौटाया जा रहा है।

अनु0ः– यथोक्त।

विश्वासभाजन

20.11.18
मुख्य अभियंता,
नगर विकास एवं आवास विभाग
बिहार, पटना।

E:\N K File 2014\Begusarai\Begusarai T.S.docx